संख्या-154/2024/आई/528894/41-2002-001-99-2024-CN-1802397

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 **लखनऊ, दिनांक 27 मार्च, 2024**

विषयः- जनपद-प्रयागराज में संगम पर स्थित लेटे हुये हनुमान जी (बड़े हनुमान जी) पर फसाड लाईटिंग के कार्य की परियोजना को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-11294/6-1-1(विविध-प्रयागराज)/24 दिनांक 19.03.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उक्त परियोजना को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-603/2023/3704/41-2023-001-305-बजट-2023 दिनांक 12.09.2023 द्वारा जनपद-प्रयागराज में संगम पर स्थित लेटे हुये हनुमान जी (बड़े हनुमान जी) पर फसाड लाईटिंग के कार्य की स्वीकृत परियोजना को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया तदनुसार उक्त शासनादेश संख्या-603/2023/3704/41-2023-001-305-बजट-2023 दिनांक 12.09.2023 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 40.00 लाख (रूपये चालीस लाख मात्र) को ब्याज सहित नियमानुसार राजकोष में जमा कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को एक सप्ताह के भीतर अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य क कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- जिलाधिकारी, प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- उप निदेशक, पर्यटन क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, प्रयागराज।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in